(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 6/2022-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. प्रारंभिक पैराग्राफ में,

(i) खंड (v) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) में, शब्द और अंक "अनुसूची VI" के बाद, शब्द ", और" अंत:स्थापित जाएगा;

(iii) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(vii) अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत । ";

ख. अनुसूची I में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, कॉलम (3) में, "और युनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और " अधीन रहते हुए " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

"9क	0403	दही, लस्सी, छाछ, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ";

(iii) क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, कॉलम (3) में, "जो यूनिट कंटेनर" से शुरू होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 के सामने, कॉलम (3) में, " और युनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और " अधीन रहते हुए " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 25 के सामने, कॉलम (3) में, "जो यूनिट कंटेनर" से शुरू होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में, "यूनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और " अधीन रहते हुए " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में, "यूनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और " अधीन रहते हुए " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58 और 59 के सामने, कॉलम (3) में, "जो यूनिट कंटेनर" से शुरू होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

“91 क	1701 या 1702	बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;

(x) क्रमांक 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

“98 क	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना

		जाता है, पार्च्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पार्च्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(xi) क्रम संख्या 101क के सामने, कॉलम (3) में, "जो कि यूनिट कंटेनरों " से शुरू होने वाले और परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रमांक 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रमांक 181 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

"181 ख	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैंज, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित";

(xiv) क्रम संख्या 182 के सामने, कॉलम (3) में, " जिन्हे इकाई आघानो में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है" के लिए, शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रमांक 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 215 के सामने, कॉलम (3) में, " जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हो और जिनका ब्रांड नेम हो" के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvii) क्रमांक 230, 232, 233, 234क और 234ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xviii)क्रम संख्या 255 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"255क	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या

		शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओक्युलर लेंस [हियरिंग एड्स के अलावा]";

(xix) क्रम संख्या 264 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, लिस्ट 3 में, आइटम ख में, सब-आइटम 1 और तत्संबंधी प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;

ग. अनुसूची II में - 6%,-

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "अमरूद" के पश्चात्, शब्द "आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, " जो यूनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 के सामने, कॉलम (3) में, "जो कि यूनिट कंटेनरों " से शुरू होने वाले और परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "गर्भनिरोधक" के पश्चात्, शब्द "और ओस्टोमी उपकरण" को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 70 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 85क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न, अन्य जानवरों के चर्मपत्र-पोशाक चमड़े सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ङ	4114	चामोइस (संयोजन चामोइस सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा

85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा;

(vii) क्रमांक 120 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 125 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"125क"	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं";

(ix) क्रम संख्या 176ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "फ्लाई ऐश ब्रिक्स; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रमांक 187, 188, 189, 192 और 193 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xi) क्रमांक 194 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम";

(xii) क्रमांक 195 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 197 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों, अंकों और प्रतीकों के लिए "शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, [इनके भाग/हिस्से [8433 90 00]]", शब्द, "उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रमांक 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची III में - 9%,-

(i) क्रम संख्या 30क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, चाहे निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रमांक 54ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"54ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";

(iii) क्रम संख्या 148 के समक्ष , कॉलम (3) में, "[एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 157ख के समक्ष, कॉलम (3) में, दूसरे "स्क्रिप्स के अलावा)" के पश्चात्, शब्द"; चेक, गुम या बही के रूप में" को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 182घ के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और अंकों के लिए "[फ्लाई ऐश ईटे, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश समुच्चय जिनमे फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न " शब्द "[फ्लाई ऐश ईंटों, फ्लाई ऐश समुच्चय, फ्लाई ऐश ब्लॉक से भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 301क को क्रमांक 301कक के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किए गए क्रम संख्या 301कक से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:

"301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दाँतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";

(vii) क्रम संख्या 302क के समक्ष, कॉलम (3) में, "[कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 302क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";

(ix) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "() कंक्रीट पंप [8413 40 00]; () अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; () बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यथा,

केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप"; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 317ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर";

(xi) क्रम संख्या 328 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से [8433 90 00]
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी;

(xii) क्रम संख्या 329 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"329क	8437	सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है";

(xiii) क्रम संख्या 371 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"371क	84 या 85	ई - अपशिष्ट *स्पष्टीकरण* - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची ▯ में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है";

(xiv) क्रम संख्या 376कग के समक्ष, कॉलम (3) में, "[ग्राइंडर के रूप में पत्थर से बने गीले ग्राइंडर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में, "[प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" प्रतीकों, शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 406 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"406क	8807	8801 शीर्षक के माल के भाग";

(xvii) क्रमांक 413 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "ड्राइंग, मार्किंग-आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल्स, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रमांक 438क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द, अक्षर और प्रतीक "एलईडी लाइट या एलईडी लैंप सहित जुड़नार; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) का लोप किया जाएगा;

ङ. अनुसूची VI - 0.125% में,

(i) क्रमांक 1 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों [हीरों से भिन्न], चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुए अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न]; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

च. अनुसूची VI में तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुसूची VII - 0.75%

क्रमांक	अध्याय/शीर्षकक/उप-शीर्षकक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)

1.	7102	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान
2.	7104	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान";

छ. अनुसूची VII के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ii) 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।".

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- मुख्य अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग □□, खंड 3, उपखंड (□) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 237 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग □□, खंड 3, उप-खंड (□) में प्रकाशित किया गया था।